संख्या 90 / VI-I / 2008–2(4) 2007

प्रेषक,

एस0एस0वल्दिया,
उपसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
युवा कल्याण एव प्रान्तीय रक्षक दल,
देहरादून।

युवा कल्याण अनुभाग:

देहरादून दिनांक 18 मार्च 2008

विषय: वित्तीय वर्ष 2007–08 में यात्रा भत्ता तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर कय मद में स्वीकृत धनराशि के स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सख्या–1260 / दो–1493 / 2007–08 दिनाक 13फरवरी 2008एव 1186 / दो–1473 / 2007–08 दिनाक 30 फरवरी 2008 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि युवा कल्याण विभाग के वित्तीय वर्ष 2007–08 के आयोजनेत्तर पक्ष के अर्न्तगत यात्रा भत्ता मद में रू0 2.50 लाख तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर कय मद में रू0 3.00 लाख कुल रू0 5.50 लाख (रू0 पाच लाख पचास हजार मात्र) निम्न विवरणानुसार श्री राज्यपाल महोदय आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

अनुदान संख्या –11
लेखाशीर्षक –2204–खेलकूद तथा युवा सेवायें
001–निदेशन तथा प्रशासन
04– प्रादेशिक विकास दल एवं युवा कल्याण

आयोजनेत्तर (धनराशि लाख में)

क0स0	मानक मद	स्वीकृत की जा रही धनराशि
1	2	3
1.	04–यात्रा भत्ता	2.50
2.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर कय	3.00
	योग–	5.50

2. वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 599 / XXVII(1) / 07 दिनांक 12.7.2007 में विहित शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3.. उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि, मितव्ययी मदों मे आवटित सीमा तक व्यय सीमित रखा जाय। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता, जिसे व्यय करने के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय सम्बन्धित की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। कम्प्यूटर आदि का कय आई0टी0 विभाग के दिशानिर्देशानुसार

सुनिश्चित किया जाय। विभागीय वेबसाइट तैयार करने के सम्बन्ध में एन0आई0सी0 का भी परामर्श / सहायता प्राप्त किया जाय।

4. धनराशि का किसी भी दशा में व्ययवर्तन नही किया जायेगा।

5. धनराशि का एक मुश्त आहरण न करके आवश्यकतानुसार मासिक व्यय की समय सारिणी बनाकर ही आहरण किया जायेगा।

6. उक्त आवंटित धनराशि की व्यय की संकलित सूचना बी0एम0–13 पर प्रतिमाह अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जायेगी।

7. धनराशि उसी मद मे व्यय की जाय, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है। व्यय मे मितव्ययता के सम्बंध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशो मे निहित निर्देशो का कडाई से अनुपालन किया जाय। स्वीकृत धनराशि के व्यय के विवरण शासन तथा महालेखाकार को नियमित रूप से भेजे।

8. इस सम्बध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2007–08 उपर्युक्त अनुदान संख्या–11 के अर्न्तगत प्रस्तर –1 में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–499 (NP) XXXVII (3)/2007, दिनांक 13 मार्च 2008 द्वारा प्रदत्त आदेश से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव

पृष्ठांकन संख्याः– 90/VI-I/2008–2(4) 2007 तददिनांकित
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी,उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु।
3– निजी सचिव, मा0 युवा कल्याण मंत्री उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रेषित किये जाने हेतु
4– अपर सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
7– एन0आई0सी0, देहरादून।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उपसचिव